FORM NO. II
फर्द अहकाम
(नियम 26)

2023/168

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर (राज0)

अपील संख्या 89/2023 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट
उनवान– रामावतार वगै0 बनाम अमरसिंह वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	विशेष विवरण
08.11.2023	पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट की प्रार्थना पत्र अन्तरिम निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि तहत न्यायालय में प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र के द्वारा पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी अन्तरिम डिक्री दिनांक 31.03.2011 करे निरस्त करने की प्रार्थना की है। जबकि एक बार न्यायालय से जारी डिक्री को केवल आर्डर 9 रूल 13 सीपीसी अथवा अपीलीय कोर्ट द्वारा निरस्त की जा सकती है, रिव्यु प्रार्थना पत्र से नहीं। उक्त रिव्यू प्रार्थना लगभग 12 वर्ष पश्चात प्रस्तुत हुआ है। सर्वप्रथम विचारण न्यायालय को दफा 5 के प्रार्थना पत्र के निर्णीत करने के उपरांत ही स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर माकूल आदेश पारित करना चाहिए था। बटवारा हो जाने के उपरांत रिव्यू प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का विक्रय दो बार किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात जरिये रजि0 विक्रयपत्र क्रय किया है तथा वह वर्तमान खातेदार काबिज काश्तकार हैं। तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पारित किया है। वकील अपीलांट द्वारा इसके पक्ष में निम्न नजीरे पेश की है। आर.आर.टी. 2023(1) पेज 506 लगायत 511, आर.आर.टी. 2022–2023 सप्ली. पेज 65 लगायत 68,। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2023 को निरस्त फरमाया जाये। हमने वकील अपीलांट अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.09.2023 का अवलोकन किया गया है।	

Scanned with CamScanner

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम प्रकरण में आर.आर.टी 2014 भाग 1 पेज संख्या 409 से 444 में जारी गाइड लाइनों में व्यवस्था दी है कि लिमिटेशन से प्रभावित प्रकरणों में एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आर.आर.टी. 2023(1) पेज 506 लगायत 511, आर.आर.टी. 2022–2023 सप्ली. पेज 65 लगायत 68, जो कमशः रिव्यू के स्कोप एवं लिमिटेशन के संबंध में निर्णय बाबत है, में प्रतिपादित मत मेरी विनम्र राय में प्रकरण में चस्पा होते है। इसके अतिरिक्त तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2023 को अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जिसका अन्तरिम निस्तारण आदेश 39 नियम 3ए के अनुसार 30 दिवस मे किया जाना आवश्यक है, जिसकी पालना तहत न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है।

अतः अपील अपीलांट इस स्तर पर आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय के प्रकरण संख्या 33/2023 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2023 की कियान्विति/प्रभाव व प्रचलन स्थगित किया जाता है तथा तहत न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा का विधिअनुसार परिसीमा के प्रश्न पर अपना मत व्यक्त करते हुये 30 दिवस में नियमानुसार निर्णय किया जाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान तहत न्यायालय में नियत दिनांक 08.12.2023 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

30/
2/11/2023

उम्मेदीलाल मीना
(आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner